

वि.स. अतारोचित २५५६. 1873
प्रश्न सं. [क. 1873]

पारोशि/26/2/2022

कार्यालय कलेक्टर होशंगाबाद

कमांक /रीडर/ 2014

होशंगाबाद,

दिनांक. मई 2014

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होशंगाबाद के द्वारा ज्ञाप कमांक 8419/2013 दिनांक 12-3-13 के अनुसार तहसील होशंगाबाद के ग्राम किशनपुर में स्थित भूमि सर्वे नंबर 130/1 में से रकवा 1.011 हेक्टर भूमि कार्यालयीन भवन निर्माण हेतु आवंटित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार होशंगाबाद के द्वारा जांच कर प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम किशनपुर की भूमि सर्वे नंबर 130/1 में से रकवा 1.011 हेक्टर भूमि शासकीय अभिलेख के अनुसार म0प्र0शासन राजस्व विभाग के नाम पर दर्ज होकर आवेदित भूमि मौके स्थल पर रिक्त होकर अनुपयोगी है जो सिंचाई विभाग से वापिस ली जाकर राजस्व विभाग को वापिस प्राप्त होना पाया गया। जो कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु उपर्युक्त है। प्रकरण में उक्त आवेदित भूमि हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित किया गया। प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के द्वारा भी प्रतिवेदन दिनांक 28-4-14 के अनुसार भूमि सर्वे नंबर 130/1 रकवा 1.011 हेक्टर भूमि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन किये जाने की अनुशंसा की गई।

अतः अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद एवं तहसीलदार होशंगाबाद के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए तहसील होशंगाबाद मौजा किशनपुर की भूमि सर्वे नंबर 130/1 रकवा 1.011 हेक्टर भूमि म0प्र0शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक एफ6-7/2013/सात/2बी/भोपाल दिनांक 13 फरवरी 2013 के अन्तर्गत प्रसारित निर्देशानुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 4-1. की कंडिका 36 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय-परिवहन कार्यालय भवन निर्माण हेतु म0प्र0शासन परिवहन विभाग को निम्नलिखित शर्त के अन्तर्गत हस्तांतरण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

शर्त

1. आवेदक विभाग को भूमि के उपयोग हेतु इस प्रकार विनियोजन करना होगा ताकि अन्य शासकीय विभागों के लिये भी बहुमंजिला भवन बनाये जा सकें।

कलेक्टर
होशंगाबाद

पू0कमांक 1369/रीडर/2014
प्रतिलिपि-

होशंगाबाद,

दिनांक 13 मई 2014

1. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित।
3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु।
4. तहसीलदार होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वह नियमानुसार अभिलेख दुरुस्त करें।

कलेक्टर
होशंगाबाद

NAJUL BHUMI




७

मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय भोपाल

—000—

नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम में परिवहन विभाग की बस स्टैन्ड स्थित भूमि के एक भाग पर कुल 20 आवास (04, एम.आई.जी. एवं 16, ई.डब्ल्यू.एस) निर्मित हैं, जानकारी निम्न है:-

क्र.	आवास का प्रकार	संख्या	रिमार्क
1	एम.आई.जी.	04	रिक्त एवं जर्जर/क्षतिग्रस्त हैं।
2	ई.डब्ल्यू.एस.	16	(i) 06 आवास - रिक्त एवं जर्जर/क्षतिग्रस्त हैं। (ii) 10 ई.डब्ल्यू.एस - इन आवासों पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जाकर विगत वर्षों से निवासरत हैं। जानकारी निम्न है:- 1. सोनू झारकडे - 2 आवास 2. स्व. विनय दुबे का परिवार - 1 आवास 3. सोनू का परिवार - 1 आवास 4. स्व. सूरज का परिवार - 1 आवास 5. आर.टी.ओ. कर्मचारी - 1 आवास 6. विलास सराठे होमगार्ड - 3 आवास 7. विनय दुबे का साला - 1 आवास यह आवास भी जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हैं।


संभागाध्यक्ष प्रबंधक (सम्पत्ति)